सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 289

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 14/2020 – State Tax

S.O. No. 37, Dated – 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 72/2019 – State Tax, dated the 10th February, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide number S.O. No. 7, dated the 10th February, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं. 14/2020-राज्य कर

एस. ओ. सं. 37, दिनांक- 25 जून, 2020:- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर और झारखंड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं. 7, तारीख 10 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित झारखंड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 72/2019- राज्य कर, तारीख 10 फरवरी, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करती है कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमावली के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा ।

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक तवरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०2020/01/]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 289 -- 50